

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या : 194/2022 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कल्याण पुत्र स्व. श्री लालाराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री रामलाल
3. श्रीमती पांची पत्नी स्व. श्री लालाराम
4. राम खिलाडी पुत्र स्व. श्री लालाराम
5. रामदेव पुत्र दीपा
6. श्रीमती मन्नी देवी पत्नी स्व. श्री प्रभू
7. नन्दाराम पुत्र स्व. श्री प्रभू
8. कमलेश पुत्र स्व. प्रभू नाबालिग संरक्षिका माता श्रीमती मन्नी देवी समस्त जातियान मीणा निवासी ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. संदीप पुत्र श्री बाबूलाल
2. ग्यारसी पुत्र श्री बाबूलाल
3. श्रीमती ममता पुत्री श्री बाबूलाल
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री पुखराज
5. मनीषा पुत्री श्री पुखराज
6. मयंक पुत्र श्री पुखराज
7. काली देवी पत्नी श्री जगदीश
8. छोटी लाल पुत्र श्री जगदीश
9. जयनाराण पुत्र श्री जगदीश
10. रमेश पुत्र श्री जगदीश
11. सोनी देवी पुत्री श्री जगदीश
12. मीरा देवी पुत्री श्री शंकर लाल
13. राजेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल
14. सीताराम पुत्र श्री शंकर लाल
15. हीरा देवी पुत्री श्री शंकर लाल
16. नीरू देवी पुत्री शंकर लाल
17. बदरी पुत्र श्री काना
18. मोहन पुत्र श्री काना (मृतक)
 - 19/1. श्रीमती मनफूली देवी पत्नी स्व. श्री मोहन
 - 19/2 लड्डू पुत्री स्व. श्री मोहन
 - 19/3 अशोक मीणा पुत्र स्व. श्री मोहन
 - 19/4 रामजीलाल मीणा पुत्र स्व. श्री मोहन
- 19 श्रीमती भीरी देवी पत्नी श्री रामगोपाल
20. आशा पुत्री रामगोपाल
- 21 दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल

जिला कलक्टर
जयपुर

22. मुकेश पुत्र श्री रामगोपाल
23. संतोष पुत्र श्री रामगोपाल
24. दिपिका पुत्री श्री रामगोपाल
25. श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री बाबू लाल
26. आशीष पुत्र श्री बाबूलाल समस्त जातियान मीणा, निवासियान ग्राम नागल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।
28. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुत्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष विचाराधीन निगरानी संख्या 06/2022 ब उनवानी कल्याण व अन्य बनाम संदीप व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने ।

उपस्थित:-

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री एन. के. सेनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10, 17, 19/3, 19/4 व 22 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 17.10.2022

1. संक्षेप में मुत्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2022 ब उनवानी कल्याण व अन्य बनाम संदीप व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 10, 17, 19/3, 19/4 व 22 की ओर से श्री एन. के. सेनी अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रभावशाली लोगों के सम्पर्क में है, जिनके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को अपने प्रभाव में कर रखा है और नाजायज तरीके से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का फ़ैसला करवा कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से हिस्सा अधिक लेना चाहते हैं जो गलत है। अप्रार्थीगण सरे आम धमकी देते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हमारे खास आदमी हैं और हम हमारी इच्छा से ही उक्त मुकदमें का फ़ैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के प्रभाव में है और उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के कहने से ही नजदीक तारीख पेशियां दी जा रही है और तामील में भी 5-10 दिन की तारीख देकर मुकदमें का निस्तारण आनन फानन में करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को अपनी सुविधा अनुसार तारीख पेशी नहीं देते हैं और प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं करना

जिल्ला कलक्टर
जयपुर

चाहते हैं। कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपील का फैसला करवाना चाहते हैं जो गैर कानूनी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नाजायज तरीके से अप्रार्थीगण के दबाव में आकर प्रार्थीगण के विरुद्ध फैसला करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दबाव बना रखा है। जिससे प्रार्थीगण की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपने उक्त मुकद्दमें को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहते हैं। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण कराना नहीं चाहते हैं। इसलिए लम्बी तारीख लेने की कोशीश करते रहते हैं और निस्तारण में विलम्ब किये जाने की गन्शा से ही सह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है, फिर भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. प्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को गणनजर रख कर मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को भी असुविधा नहीं होगी। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2022 व उनवानी कल्याण व अन्य बनाम संदीप व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित किया जाता है।
9. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ व अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को सारे इजलास सुनाया गया।

२२७
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर